



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashid@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 12860/12-1 कोटबंगला दिनांक 25/04/2023

से. में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विकासखण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्या हेतु 1.5252 हे० वन भूमि के सम्बन्ध में प्रयोजल संख्या FP/UK/ROAD/41009/2019।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून का पत्रांक- 1567 / FP/UK/ROAD/31858/2018 दिनांक 29.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से उक्त प्रकरण पर लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने कार्यालय पत्र-452/वनभूमि, दिनांक 27.02.2023 द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है-

क्र.सं	आपत्ति	आख्या
1	In reply to point no 2, submitted that village is not connected with the road. However on perusal of KML file it appears that village is already connected and another connectivity (proposed road) with enumeration of 75 tress is not justified.State government is requested to submit the details of the routes nearest to the existing routes to the village.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम गोरुण चिन्यालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग के किमी. 24 से लगभग 1.50 कि०मी० की पैदल दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की अपलोड की गयी के०एम०एल० फाइल में ग्राम जुडा हुआ प्रतीत हो रहा है, जो कि पैदल मार्ग से जुडा है। मार्ग में 0-10 व्यास वर्ग के 14 पेड़ों को पृथक कर अब कुल प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 59 होती है। मार्ग पर 7.00 मीटर चौड़ाई में ही पेड़ों की गणना की गयी है, जो इससे कम होना सम्भव नहीं है।
2	State govt. is also requested to clarify considering the distance of the existing routes from the village if the proposed road meets the IRC norms	उक्त के बम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की मार्ग नीति के अनुरूप पत्रांक-8167/III(2)/18-15 (सा.)/2018, दिनांक 31.12.2018 (प्रति संलग्न-1) के बिन्दु सं०-04 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए सडक से 100 मीटर ऊर्ध्वाधर दूरी से कम दूरी के गांव को मोटर मार्ग से जुडा हुआ माना जायेगा, जबकि ग्राम गोरुण एवं पोखरी की दूरी 150 से 200 मीटर तक हैं इसलिए उक्त गांव को सडक से संयोजकता हेतु अलग से मार्ग की आवश्यकता है।
3	In reply no 3, no correction made state govt. is again requested to uoload the digital map and Sol Toposheet map of the CA area metioning the name of the selected Ca Area.	सी०ए० का डिजिटल मैप, सी०ए० का क्षेत्रफल एवं नाम सहित part-I के additional information documents में अपलोड कर दी गई है।(संलग्न-2)

o/c

4	If reply to point no 4 only geolist report found uploaded. Administrative approval is not found uploaded yet which is required to be uploaded.	उक्त के अनुपालन में प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति याचक विभाग द्वारा part-I के additional information documents में अपलोड कर दी गई है।(संलग्नक-03)
5	In reply to point no 5, instead of providing the date on tree enumeration list of trees has been removed from part-II. State Govt. is requested to upload the tree enumeration list mentioning the date of tree counting duly authenticated by the concerned authority.	वृक्षों की गणना सूची में निरीक्षण तिथि अंकित कर इस कार्यालय द्वारा part-II के additional information documents में अपलोड कर दी गई है।(संलग्नक-4)

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक 2860 / 12 - / तददिनांकित।


प्रतिलिपि :- 1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(पुनीत तोमर)


प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

चिन्मालीसोड मोटर मार्ग ही जोरुण तक प्रस्तावित मार्ग भाग
 है Key Plan



Key Plan

पैदल मार्ग
 प्रस्तावित मोटर मार्ग



AAE

(Signature)

निर्माण खण्ड लॉन्चिंग वि०
 चिन्मालीसोड, उत्तरकाशी

प्रेषण

दिनांक 09/16/11/22/19-18(भाग्य)/2018

समा. सं.

एचओएचओ घोषिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड सरकार।

मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण विभाग-2

देहरादून विभाग-3 / दिनांक, 2018

विषय:

लोक निर्माण विभाग को अन्तर्गत मोटर मार्गों/रोडों को निर्माण की योजना/प्रस्ताव
संबंधित विचार प्रस्तावों की प्राथमिकता पर ध्यान देना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह पता चला कि लोक निर्माण विभाग को अन्तर्गत मोटर मार्गों/रोडों को निर्माण की योजना/प्रस्ताव तैयार किये जाने तथा लोक निर्माण विभाग को अन्तर्गत विभागीय वार्षिक आय-व्यय में प्राथमिकता बजट को विभिन्न योजनाओं/मार्गों में निर्माण किये जाने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निम्नवत नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-


- (i) राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों के मानकानुसार नवीनीकरण हेतु वर्तमान स्थिति के सापेक्ष लगभग 25% घनराशि पृथक से प्रत्येक वार्षिक बजट में प्राथमिकता दी जाय।
- (ii) राज्य सुरक्षा हेतु वार्षिक बजट के आकार की 5% एवं मुलों के निर्माण तथा रख-रखाव को लिये वार्षिक बजट के आकार की 15% घनराशि वार्षिक बजट में प्राथमिकता दी जाय।
- (iii) वार्षिक बजट की शेष घनराशि लगभग 55% नवनिर्माण एवं ग्रामीण मार्ग/हल्का बाह्य मार्ग/वार्षिक अनुसंधान के लिए प्राथमिकता दी जाय।
- (iv) राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति, भूभौमिक संरचना तथा वन एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से 100 मीटर की ऊर्ध्वपर (Vertical) दूरी पर स्थित ग्रामों को मोटर मार्ग से स्थित ही संयोजित माना जाय।
- (v) जिन ग्रामों/आबादियों को किसी न किसी मार्ग से सड़क संयोजकता पूर्व से ही सुलभ हो, उन ग्रामों/आबादियों को अतिरिक्त/दोहरी मार्ग संयोजकता सामान्यतः प्रदान न की जाय।
- (vi) राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए 05 किमी० से अधिक लम्बाई के मोटर मार्गों को स्वीकृति हेतु द्वितीय चरण में प्रस्तावित न किया जाए, वरन् अधिक लम्बाई वाले ऐसे मोटर मार्गों को एक एक करके (One by one) विभिन्न चरणों में स्वीकृति प्रदान की जाय।
- (vii) ऐसे मार्गों को, जो कि राज्य मार्ग या अन्य जिला मार्गों की श्रेणी में नहीं हैं तथा जिनमें प्रतिदिन यातायात 400 भारी वाहन से कम है, को रे.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा न किया जाय।
- (viii) समस्त आबादी वाले ग्रामों को मुख्य मार्गों में मिलान हेतु edge to edge ब्लैक टॉप/इन्टरलॉकिंग सीसी0 टाइल्स अथवा Brick on edge तथा सड़की ताली निर्माण का प्राथमिकता अवश्य रखा जाय।

Handwritten signature and date: 09/16/11/22/19-18

Official stamp and text at the bottom of the page.

खण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ - जोगत मोटर मार्ग से (संलग्नक - 02)
 गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल बगोड़ी
 क्षेत्रफल - 3.045 हे०

0 0.5 1 1.5 Km



Legend

-  Proposed Plantation Area
-  Forest Range Boundary
-  Forest Reserve Area
-  Forest Reserve Boundary

Assistant Engineer
 Construction Division PWD
 Chinyalisaur Uttarkashi

अधिसासी अभियन्ता
 निर्माणखण्ड, लोनिवि
 चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

वन क्षेत्राधिकारी
 धरसू वन राजि
 उत्तरकाशी वन प्रभा

प्रतिहस्ताक्षर
 जिलाधिकारी
 उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभा
 उत्तरकाशी

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत चण्डा-चिन्मया-खण्ड के अन्तर्गत चिन्मया-नोसी-मोटर मार्ग से भारतीय तेल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.50	20.00	1.00
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत खण्ड दुम्हा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 100 का शिलकधार (शिफुण्डा) से नजमाव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	5.00	119.65 [32.05 + 87.60 उत्तरकाशी अतिरिक्ति निरमावली से कार्य करने वाले कार्य]	1.10
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत गौनाग मोटर मार्ग से पर्यावरी होते हुए बसखाल-जुमगा मोटर मार्ग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एक 24 मीटर स्पाय स्टील गार्डर सेतु सहित	5.00 + 2.00 7.00	89.93 [30.93 + 59.00 उत्तरकाशी अतिरिक्ति निरमावली से कार्य करने वाले कार्य]	1.10
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत चण्डा-चिन्मया-खण्ड के अन्तर्गत चिन्मया-नोसी-मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	40.91 [40.91 + 0.00 उत्तरकाशी अतिरिक्ति निरमावली से कार्य करने वाले कार्य]	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत खण्ड दुम्हा के अन्तर्गत मालना से लोन्ड मोटर मार्ग का सुधार एवं नव निर्माण का कार्य।	2.00	0.34	0.10
जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत खण्ड दुम्हा के अन्तर्गत चण्डा-चिन्मया-खण्ड के अन्तर्गत जैनपुर से ग्राम-दिल्ली दुम्हा रोड की धरौली खनेरी मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	70.65 [52.65 + 18.00 उत्तरकाशी अतिरिक्ति निरमावली से कार्य करने वाले कार्य]	1.10
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत चायखान-धुवासिमल मोटर मार्ग के कि० नो० 5.00 से उटेश्वर महादेव मन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	23.45 [17.55 + 5.90 उत्तरकाशी अतिरिक्ति निरमावली से कार्य करने वाले कार्य]	0.10
जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धौली (मनिआगर)-दूधन मोटर मार्ग का ग्राम बरौली तक विस्तार का कार्य।	3.00	22.98 [17.55 + 5.43 उत्तरकाशी अतिरिक्ति निरमावली से कार्य करने वाले कार्य]	0.10
जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्वा-डसीली मोटर मार्ग से ग्राम मौली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.00	15.32 [11.78 + 3.54 उत्तरकाशी अतिरिक्ति निरमावली से कार्य करने वाले कार्य]	0.10
योग	154.30	1264.32	3.20

Photo Copy attached



Assistant Engineer
Construction Division PWD
Uttarakashi

(कुल ₹ 100 लाख मात्र हजार में)

(गहमा)
अनु सचिव

प्राप्तित होने वाले वृक्षों का विवरण

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्वालीसोड में चिन्वालीसोड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण

दिल्ली कक्ष सं०- 8

आरक्षित वन भूमि

क्र. सं.	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास सेमी. में	क्र.सं.	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास सेमी. में
1	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30	36	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20
2	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	60-70	37	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20
3	सिलवर ओक	(ग्रेवेलिया रोबस्टा)	0-10	38	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20
4	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20	39	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20
5	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	60-60	40	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20
6	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30	41	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	50-60
7	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	42	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10
8	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	43	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10
9	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20	44	सिलवर ओक	(ग्रेवेलिया रोबस्टा)	0-10
10	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	30-40	45	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
11	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30	46	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
12	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	47	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
13	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	48	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	60-70
14	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	49	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
15	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	50	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
16	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	51	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
17	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	60-70	52	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	30-40
18	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20	53	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	30-40
19	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30	54	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	30-40
20	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20	55	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20
21	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20	56	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
22	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	57	सिलवर ओक	(ग्रेवेलिया रोबस्टा)	0-10
23	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	58	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	60-70
24	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	30-40	59	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
25	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	30-40	60	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10
26	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	61	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20
27	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20	62	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20
28	सिलवर ओक	(ग्रेवेलिया रोबस्टा)	0-10	63	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
29	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10	64	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	80-90
30	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30	65	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
31	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30	66	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-30
32	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20	67	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20
33	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20	68	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	0-10
34	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	10-20	69	चीड़	(पाइनस रीक्सवर्धाई)	30-40
						(पाइनस रीक्सवर्धाई)	20-40

क्र. सं.	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास सेमी. में	क्र. सं.	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास सेमी. में
71	चौर	(पाइनस रीक्सवथार्डे)	10-20	74	चौर	(पाइनस रीक्सवथार्डे)	20-30
72	चौर	(पाइनस रीक्सवथार्डे)	20-30	75	चौर	(पाइनस रीक्सवथार्डे)	20-30
73	चौर	(पाइनस रीक्सवथार्डे)	20-30				

Spaul

श्री शान्तिराम
वन रक्षक

Sharma

श्री गोपी चन्द रमोला
अमीन
निर्माण खण्ड तौ.नि.वि.
चिन्मालीसौर उत्तरकाशी।

Sharma

राजस्व उप
निरीक्षक

(सुरेन्द्र मोहन)
कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड तौ.नि.वि.
चिन्मालीसौर उत्तरकाशी।

Sharma

श्री भवान सिंह
परिवार
वन दरोगा

Sharma
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड तौ.नि.वि.
चिन्मालीसौर उत्तरकाशी

Sharma

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड तौ.नि.वि.
चिन्मालीसौर उत्तरकाशी

Sharma

Sharma

वन क्षत्राधिकारी
भारत वन राज
उत्तरकाशी वन प्रभाग

उपनिरीक्षक
उत्तरकाशी

सहस्री अधिकारी

प्राप्त होने वाले वृक्षों का सारांश

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्वालीसौड में चिन्वालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण


गोश्वरा

दिखली क्र० सं०- 8

आरक्षित वन भूमि

प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से ऊपर	योग
चौड़	12	22	23	07	-	02	04	-	01	-	71
सिलवर ओक	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04
योग											75

उपरोक्त सूची से 0-10 व्यास के वृक्षों को प्रयुक्त कर कुल वृक्षों की सं० 59 होती है


ओ० पी० सिंह चौहान
सहायक अभियन्ता


दिनेश सिंह राणा
उप राजस्व निरीक्षक


भवान सिंह पडियार
वन दरोगा सेक्शन


उप-विभागीय अधिकारी
खण्ड, उत्तरकाशी



सुरेन्द्र मोहन
कनिष्ठ अभियन्ता


श्री गोपी चन्द रामोला
अमीन


तहसीलदार,
चिन्वालीसौड।


अधिरासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
चिन्वालीसौड, उत्तरकाशी


उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

का नाम:-

योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्त्यालीसोड में चिन्त्यालीसोड-जोगथ मोटर से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० लम्बाई निर्माण हेतु 1.5225 हे० अक्षित / सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 13/06/2017 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई


प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार / प्रजातियार / व्यास वार विवरण।

वन भूमि की श्रेणी	QUCYkd @ dEikVZe sUV u0 & @ klik laLk	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										
				0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
आरक्षित वन भूमि		चीड	पाइनस रौक्सवर्धाई	12	22	23	7		2	4		1		59
		सिलवर रांक	ग्रेवेलिया रोबस्टा	4										स्ट।स्म।
निवेदित क्षेत्र														
वन प्रदायक														
अक्षित वन														
योग :- वन भूमि		चीड	पाइनस रौक्सवर्धाई		22	23	7		2	4		1		59
		सिलवर रांक	ग्रेवेलिया रोबस्टा	4										4
नाप भूमि														
कुल योग		चीड	पाइनस रौक्सवर्धाई		22	23	7		2	4		1		71
		सिलवर रांक	ग्रेवेलिया रोबस्टा	4										4

0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों को पृथक किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।


 प्रभारी वन अधिकारी
 उत्तरकाशी वन प्रभाग
 उत्तरकाशी


 तहसीलदार
 राजपुर विभाग
 चिन्त्यालीसोड।


 जिलाधिकारी
 उत्तरकाशी

Executive Engineer
 Canal Division

उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

दिनांक 17/06 /2017

वृक्षों का पातन का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्वालीसौड में चिन्वालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.5225 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्वालीसौड में चिन्वालीसौड-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 0.8925 हे० आरक्षित वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

क्र.सं.	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग	
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90		90 से उपर
1	चिन्वालीसौड	चीड़	12	22	23	07	-	02	04	-	01	-	71
2		सिलवर ओक	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04
	योग		16	22	23	07	-	02	04	-	01	-	75

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

अभिप्रेत की जायेगी कि
निर्माण खण्ड ल० नि० वि०
चिन्वालीसौड

वन क्षेत्राधिकारी

उपजिलाधिकारी

दुण्डा उत्तरकाशी

C.S
प्रभागीय बनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

तहसीलदार,